

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाडमेर

नाम पीठारीन अधिकारी :- श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- / 2025

प्रार्थी
तहसीलदार बाडमेर

बनाम

अप्रार्थीगण

मैसर्स पदमावती डेवलपर्स जरिये मनोज कुमार पुत्र
बाबुलाल जाति जैन निवारी हमीरपुरा बाडमेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 68 RLA Act.

उपस्थिति :- 1. पैरोकार सरकार।


आदेश

दिनांक 07/05/25

प्रार्थी तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में अंकित किया है कि मौजा बाडमेर गादान पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 3165/2158 रकबा 0.4856 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3167/2158 रकबा 0.4856 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3169/2158 रकबा 0.4573 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3171/2158 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3172/2158 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3464/3052 रकबा 0.0361 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3466/3053 रकबा 0.0235 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3468/3164 रकबा 0.4362 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3470/3166 रकबा 0.4349 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3472/3168 रकबा 0.4083 हैक्टेयर व खसरा संख्या 3474/3170 रकबा 0.1783 कुल रकबा 3.1967 हैक्टेयर भूमि आई हुई है जो एक ही भूमि है परन्तु टुकड़ों में विभाजित है। लिहाजा मौजा बाडमेर गादान पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 3165/2158 रकबा 0.4856 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3167/2158 रकबा 0.4856 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3169/2158 रकबा 0.4573 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3171/2158 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3172/2158 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3464/3052 रकबा 0.0361 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3466/3053 रकबा 0.0235 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3468/3164 रकबा 0.4362 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3470/3166 रकबा 0.4349 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3472/3168 रकबा 0.4083 हैक्टेयर व खसरा संख्या 3474/3170 रकबा 0.1783 कुल रकबा 3.1967 हैक्टेयर भूमि को सेग्रीगेशन कर खसरा संख्या 3165/2158 कुल रकबा 3.1967 हैक्टेयर भूमि संयोजित करवाने का आदेश फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थी तहसीलदार बाडमेर से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर ने अपने पत्रांक भू.अ./2024/100 दिनांक 13.01.2025 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि मौजा बाडमेर गादान पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 3165/2158 रकबा 0.4856 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3167/2158 रकबा 0.4856 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3169/2158 रकबा 0.4573 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3171/2158 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3172/2158 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3464/3052 रकबा 0.0361 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3466/3053 रकबा 0.0235 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3468/3164 रकबा 0.4362 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3470/3166 रकबा 0.4349 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3472/3168 रकबा 0.4083 हैक्टेयर व खसरा संख्या 3474/3170 रकबा 0.1783 कुल रकबा 3.1967 हैक्टेयर भूमि को सेग्रीगेशन कर खसरा संख्या 3165/2158 कुल रकबा 3.1967 हैक्टेयर भूमि संयोजित करवाने का आदेश फरमावे।


उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

3.1967 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। सभी खसरान का सेटलमेन्ट से पूर्व खसरा संख्या 2158 है जो एक ही खसरे के अलग-अलग भाग है वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार किस्म वा. सो. है, जो अप्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज है। राजस्व नक्शा अनुसार सभी खसरान की स्थिति एक दूसरे के पास होने के कारण सभी खसरों को गर्ज किया जा सकता है। वर्तमान में मौका स्थिति अनुसार सभी खसरान के अनुसार अलग-अलग भूखण्ड नहीं है अर्थात उक्त खसरान के बीच में कोई रोड़ा नहीं होकर एक ही चक में है। उक्त खसरान पर किसी भी न्यायालय का रथगन आदेश प्रभाव में नहीं है। लिहाजा राजस्थान भू-अभिलेख नियमानवली 1957 के नियम 68 के तहत मौजा बाडमेर गादान पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 3165/2158 रकबा 0.4856 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3167/2158 रकबा 0.4856 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3169/2158 रकबा 0.4573 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3171/2158 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3172/2158 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3464/3052 रकबा 0.0361 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3466/3053 रकबा 0.0235 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3468/3164 रकबा 0.4362 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3470/3166 रकबा 0.4349 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3472/3168 रकबा 0.4083 हैक्टेयर व खसर संख्या 3474/3170 रकबा 0.1783 कुल रकबा 3.1967 हैक्टेयर भूमि का एकीकरण कर संयुक्त रकबा 3.1967 हैक्टेयर किये जाने की अभिशंषा की है।

प्रार्थी तहसीलदार बाडमेर द्वारा अपनी पुनः रिपोर्ट पत्रांक भूअ./2025/695 दिनांक 10.03.2025 के द्वारा मौजा बाडमेर गादान के मूल खेत खसरा नम्बर 2158 के बाद विभाजन से सृजित नये खसरा नम्बर 3165/2158, 3167/2158, 3169/2158, 3172/2158, 3172/2158, 3464/3052, 3466/3053, 3468/3164, 3470/3166, 3472/3168 व 3474/3170 बने हुए है। प्रस्तावित समस्त खसरे एक दूसरे से लगते हुए है तथा एक ही खातेदार के नाम दर्ज है। प्रस्तावित भूमि का एकीकरण के पश्चात नया खसरा नम्बर 3052/2158 दर्ज करना प्रस्तावित किया है। तहसीलदार बाडमेर द्वारा उक्त खसरों के एकीकरण की अनुशंषा की गई है।

प्रार्थी तहसीलदार बाडमेर की बहस सुनी गई। प्रार्थी तहसीलदार बाडमेर ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि डिजिटल इण्डिया लेण्ड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत खातेदारी खेत ग्राम बाडमेर गादान पटवार मण्डल बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर की जमाबन्दी के सेग्रीगेशन एवं हिस्सा दुरुस्ती करते वक्त अप्रार्थी खातेदारी भूमि के मूल खाता संख्या 17 में से नव सृजित मौजा बाडमेर गादान पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 3165/2158 रकबा 0.4856 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3167/2158 रकबा 0.4856 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3169/2158 रकबा 0.4573 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3171/2158 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3172/2158 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3464/3052 रकबा 0.0361 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3466/3053 रकबा 0.0235 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3468/3164 रकबा 0.4362 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3470/3166 रकबा 0.4349 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3472/3168 रकबा 0.4083 हैक्टेयर व खसर संख्या 3474/3170 रकबा 0.1783 कुल रकबा 3.1967 हैक्टेयर भूमि का एकीकरण कर अप्रार्थी के हिस्से में ही खसरा में बाडमेर रकबा 3.1967 हैक्टेयर दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।


हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम बाडमेर गादान पटवार मण्डल बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर की जमाबन्दी के सेग्रीगेशन एवं हिस्सा दुरुस्ती करते वक्त अप्रार्थी की खातेदारी भूमि के मूल खाता संख्या 17 में से नव सृजित मौजा बाडमेर गादान पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 3165/2158 रकबा 0.4856 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3167/2158 रकबा 0.4856 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3169/2158 रकबा 0.4573 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3171/2158 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3172/2158 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3464/3052 रकबा 0.0361 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3466/3053 रकबा 0.0235 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3468/3164 रकबा 0.4362 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3470/3166 रकबा 0.4349 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3472/3168 रकबा 0.4083 हैक्टेयर व खसरा संख्या 3474/3170 रकबा 0.1783 कुल रकबा 3.1967 हैक्टेयर भूमि का एकीकरण कर प्रस्तावित एकीकृत खसरा संख्या 3052/2158 रकबा 3.1967 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी खातेदारान के नाम एकीकरण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचनोपरान्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर डिजिटल इण्डिया लेण्ड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत ग्राम बाडमेर गादान पटवार मण्डल बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर की जमाबन्दी के सेग्रीगेशन एवं हिस्सा दुरुस्ती करते वक्त अप्रार्थी की खातेदारी भूमि के मूल खाता संख्या 17 में से नव सृजित मौजा बाडमेर गादान पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 3165/2158 रकबा 0.4856 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3167/2158 रकबा 0.4856 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3169/2158 रकबा 0.4573 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3171/2158 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3172/2158 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3464/3052 रकबा 0.0361 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3466/3053 रकबा 0.0235 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3468/3164 रकबा 0.4362 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3470/3166 रकबा 0.4349 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3472/3168 रकबा 0.4083 हैक्टेयर व खसरा संख्या 3474/3170 रकबा 0.1783 कुल रकबा 3.1967 हैक्टेयर भूमि का एकीकरण कर प्रस्तावित एकीकृत खसरा संख्या 3052/2158 रकबा 3.1967 हैक्टेयर भूमि खातेदार मैसर्स पदमावती डेवलपर्स जरिये मनोज कुमार पुत्र बाबुलाल जाति जैन निवासी हमीरपुरा बाडमेर के नाम अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख व लट्ठा ट्रेस में तरमीम करें।


आदेश आज तारीख 07/05/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

07/05/25

आदेश आज दिनांक को सरें इजलास सुनाया गया।


(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर
जिला बाडमेर


उपखण्ड अधिकारी
उप खाबाडमेर
बाडमेर